



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रक्षा मंत्रालय/MINISTRY OF DEFENCE

कार्यालय, प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियां)

OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS)

प्रशा- III/AN-III

10ए, एस के बोस रोड, कोलकाता - 700 001

10-A, S.K. BOSE ROAD, KOLKATA: 700001

E-mail ID: cda-cal@nic.in /aniii.dad@hub.nic.in

Phone No: (033) 2248-5077 to 5080 Extn-374

Website : www.pcafys.nic.in

FAX No. : (033) 2248-0991

भाग-II कार्यालय आदेश सं.

Part-II O.O. No.

113

दिनांक:

Date:

18.01.2019

विषय : एम.ए.सी.पी. योजना के तहत व.ले.प. (सीधी भर्ती लेखा परीक्षक) को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना ।
Subject : Grant of 3rd Financial Up gradation under MACP scheme to the Sr. Auditors (Recruited as Auditor fresh entrant).

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं.35034/3/2008/स्था-(घ) दिनांक 19/05/2009 के द्वारा केंद्रीय सरकारी असैन्य कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एफ सं. 35034/3/2015 -स्था(घ) दिनांक: 28/09/2016 के प्रावधान के अनुसार वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) देहरादून निर्माणी समूह, देहरादून, एतद्वारा लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, देहरादून में कार्यरत **Sh. Rajesh Shukla / व.ले.प. / 8328507** को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने या व.ले.प. के पद पर द्वितीय प्रोन्नति की तिथि से एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत दिनांक 01/09/2018 तिथि से संशोधन-पूर्व वेतन बैंड-2 में रु. 9300-34800 के वेतनमान में ग्रेड वेतन रु. 4800/- तथा 7th CPC वेतन मैट्रिक्स - 8 में प्रयोज्य लेवल पर तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करते हैं ।

The Controller of Finance & Accounts (Fys), Dehradun Group of Factories, Dehradun, hereby approves the grant of 3rd Financial Up gradation under MACP Scheme as introduced by Government of India vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2008 - Estt.(D) dated 19/05/2009 and also as per the provision vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2015- Estt.(D) dated: 28/09/2016 for Central Govt. Civilian Employees in respect of **Sh. Rajesh Shukla, SA/ 8328507 serving in the Accounts Office, OF Dehradun, in the (Pre-revised) 6th CPC scale of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4800/- in the Pay Band -2 , corresponding to the level-8 of revised Pay Matrix under 7th CPC w.e.f., 01/09/2018 . Individual(s) has / have already either completed 30 years of regular service or completed 10 years in the same grade pay from the date of 2nd promotion/ Financial Up gradation.**

एम.ए.सी.पी के अधीन व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल पर संस्थापन केवल वित्तीय लाभ की स्वीकृति दी जाती है और जिसे संबंधित व्यक्ति की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति नहीं मानी जाएगी एवं इसका संबंधित व्यक्ति की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher grade pay/ corresponding to the level of Pay Matrix for grant of financial benefits only and shall not amount to actual or functional promotion of the concerned individual(s) and shall also have no relevance to individual's seniority position.

Contd.....P/2

एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन होने पर उनका वेतन निर्धारण व्यय विभाग के का.जा. सं. 1/1/2008-आई.सी दिनांक 13/09/08 एवं का.जा. सं 1-6/2016-IC (Pt.) दिनांक 29/09/16 के अनुसार एफ आर 22(1) (ए) (1) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इसलिए संबंधित व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उनका वेतन निर्धारण का कोई विकल्प हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्यालय के प्रशा-वेतन अनुभाग को भेज दें।

On her/his financial up gradation under MACP Scheme, her/his pay shall be fixed under the provision of FR 22(I) (a) (1) as per Deptt. Of Expenditures OM No. 1/1/2008(Pt.) dated 13/09/08 and OM No. 1-6/2016-IC (Pt.) dated 29/09/16. Individual(s) is/ are, therefore, advised to exercise option towards fixation of pay, if any and furnish the same to the AN Pay Section of this office within the specified period.

“ किसी भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय उन्नयन की जानकारी बाद में मिलने पर वे वेतन एवं भत्ते की राशि का अंतर विभाग को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे/होंगी।”

In the event of any erroneous financial up gradation noticed at later stage, individual(s) would be liable to refund the differences of Pay and Allowances to the Department.

उपर्युक्त आशय का वचनबंध उक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसे प्राप्त कर अभिलेखित कर लिया गया है।

An undertaking to this effect has been accepted by the individual(s) and the same has been obtained and recorded.

Sd/-
(शुभंकर चटर्जी) / (Subhankar Chatterjee)
वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) /Sr. Accounts Officer (AN)

सं. 1071/प्रशा-III/एमएसीपी/ व.ले.प.- एमएसीपी प./खंड- III
No. 1071/AN:III/MACP/SA-MACP/ Vol- III

दिनांक: 18/01/2019
dated: 18/01/2019

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. र.ले.म.नि.,उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10 / The CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt-10.
2. प्र.र.ले.नि. (पेन्शन) इलाहाबाद / The PCDA(Pension), Allahabad.
3. र.ले.नि. (निधि), मेरठ / The CDA(Fund) Meerut.
4. प्रशा अनुभाग- स्थापना / प्रशा वेतन/ प्रशा-वेतन का वेतन निर्धारण ग्रुप/ वेबसाइट सेल/गोपनीय रिपोर्ट / सेवा पुस्तिका / AN Section: Estt. AN:II /AN:Pay/Pay fixation group of AN-Pay / WD Cell / CR / SB.
5. गार्ड फाइल / Guard File
6. वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) देहरादून निर्माणी समूह / The CFA (Fys), Dehradun group of Factories.
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी, देहरादून एवं संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिलिपि /
The Officer in Charge : AO OF Dehradun with a copy to the concerned individual.

शुभंकर चटर्जी
(शुभंकर चटर्जी) / (Subhankar Chatterjee)
वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) / Sr. Accounts Officer (AN)
सुम्न